ईमेल / अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17( ) खा.वि./न्याय/प्रा.आ.(कोविड– 19)/2020 दिनांकः 26.03.2020

परिवहन आयुक्त/
समस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान।

विषयः– कोविड़–19 द्वारा उत्पन्न आपदा के फलस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय अतिरिक्त गेहूं एवं दाल को लाभार्थियों तक पहुँचाने हेतु परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोविड़–19 द्वारा उत्पन्न आपदा की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य में लॉक डाउन घोषित किया हुआ है तथा राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को आगामी तीन माह तक निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की गई है। आगामी तीन माह में वर्तमान मे देय खाद्यान्न गेहूं की दुगुनी मात्रा तथा प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह एक किलोग्राम दाल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी। उक्त सामग्री में से गेहुं भारतीय खाद्य निगम तथा दाल नेफेड़ के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी। उक्त सामग्री के परिवहन हेतु वर्तमान में आवश्यक परिवहन वाहनों के दुगुने से भी अधिक वाहनों की आवश्यकता होगी जो कि वर्तमान परिदृश्य मे एक चुनौती है। वर्तमान में वाहन की उपलब्धता समस्या नहीं है परन्तु वाहन चालक, सहायक एवं मजदूरों की उपलब्धता कठिन है। अतः इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर परिवहन अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न ट्रक युनियनों एवं परिवहन एजेन्सियों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर खाद्यान्न परिवहन हेतु समुचित मात्रा मे वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावें। साथ ही, खाद्यान्न परिवहन में लगे हुए वाहनों, चालकों, सहायकों एवं मजदूरों को समुचित पास भी उपलब्ध करवाये जावें ताकि उनके आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न न हों।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
सचिव, खाद्य एवं नागरिक
आपूर्ति विभाग, राजस्थान

प्रतिलिपिः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान।
5. क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
6. समस्त जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक नागरिक आपूर्ति ।
7. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव